Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जालोर में सहायक उपनिरीक्षक पुलिस को 45 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *11 अप्रैल।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की पाली प्रथम इकाई द्वारा आज रविवार को कार्यवाही करते हुये पुलिस थाना सायला, जिला जालोर के सहायक उपनिरीक्षक पुलिस बाबूलाल राजपुरोहित को परिवादी से 45 हजार रूपये की रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. पाली प्रथम इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके विरूद्ध दर्ज मुकदमों में एफ. आर. लगाने एवं मदद करने की एवज में अनुसंधान अधिकारी बाबूलाल राजपुरोहित 50 हजार रुपये की राशि रिश्वत मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की पाली प्रथम इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री नरपतचन्द** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उनकी टीम** के द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये बाबूलाल राजपुरोहित पुत्र श्री दीपाराम निवासी ग्राम तांतड़ा, चितलवाना जिला जालोर हाल सहायक उपनिरीक्षक पुलिस पुलिस थाना सायला, जिला जालोर को परिवादी से 45 हजार रूपये की रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।